

नम्बर
अह
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम सालरियाकंला तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 37/2017 राजस्व वाद

अनवान

1. उगमा पिता धन्ना भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
— (वादी)

बनाम

1. भैरु पिता मांगु भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. मृतक हीरा पिता मांगु भील के बजाय वारिस श्री गोपाल पिता हीरा भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. मृतक हरजु बैवा मांगु भील के बजाय वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 01, 02
4. मृतक कल्याण पिता धन्ना भील के बजाय वारिसान -
4/1 रामेश्वर पिता कल्याण भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4/2 कमला पुत्री कल्याण भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4/3 राधा पुत्री कल्याण भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4/4 जमनी पत्नि कल्याण भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. रूगनाथ पिता धन्ना भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
6. मृतक गेखी बेवा धन्ना भील के बजाय वारिसान प्रतिवादी संख्या 04, 05 व वादी उगमा
7. लीला पत्नि शंकर भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
8. सजनी देवी पत्नि मदन भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
9. सीता देवी पत्नि शंकर भील उम्र वयस्क निवासी सालरियाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -

1. वादी मय अधिवक्ता उपस्थित
2. विपक्षी संख्या 4/1 से 4/4, 5, 7, 8, 9 स्वयं उपस्थित
3. परोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 10

दिनांक- 23.05

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम सालरियाकंला में वादी मय अधिवक्ता व संख्या 4/1 से 4/4, 5, 7, 8, 9 स्वयं तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के उपस्थित। आज दिनांक 23.05.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की है कि ग्राम सालरियाकंला पटवार क्षेत्र सालरियाकंला तहसील बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 590 01-10 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नव अनुत्तर वादग्रस्त आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 के मध्य विभाजन निम्ना

अधिकारी

ये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को ज्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1 उगमा पिता धन्ना भील सा.देह (वादी)

आ0न0	रकबा	लगान
2561/1338	00-13	0.52
कुल 02	रकबा 00-13 बीघा	0.52

2 गोपाल पिता हीरा, भैरु पिता मांगु 1/2, रामेश्वर पिता कल्याण कमला राधा पुत्रीयां कल्याण, जमनी पत्नि कल्याण 1/8, लीला पत्नि शंकर 1/24, सजनी देवी पत्नि मदन भील, 1/24 सीता देवी पत्नि शंकर भील 1/48, रूगनाथ पिता धन्ना 1/48, गोखी पत्नि धन्ना भील 1/8 सा.देह (प्रतिवादीगण)

आ0न0	रकबा	लगान
2466/1338	01-10	1.20
2488/1338	00-07	0.28
2490/1338	01-09	0.16
कुल 03	रकबा 03-06 बीघा	2.64

उपरोक्तानुसार भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 से 09 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 से 09 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 23.05.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम सालरियाकंला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि- डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)